Contemporary India and Education

B.Ed - Ist Year

Monika

Contemporary India and Education

Unit -1

Concurrent Status of Education

शिक्षा का समवर्ती स्तर ⇒ भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, यहां विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते है। लम्बी गुलामी के पश्चात् 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 को इसका संविधान लागू किया गया। भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया और एक नए समाज की स्थापना करने का संकल्प लेते हुए एक संविधान देश वासियों के सामने प्रस्तुत किया। भारत में शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप के संदर्भ में शिक्षा-शास्त्रियो मे प्रारम्भ से ही मतभेद रहे है। कुछ विद्वान इसे अच्छा मानते है और कुछ विद्वान इसे ब्रिटिश स्वरूप का आधुनिक रूप मानकर कर नकारते है। प्रसिद्ध शिक्षाविद-डा. सिद्धांती ने शिक्षा समवर्ती सूचि मे ही जोड़ने का प्रस्ताव रखा था इस प्रकार श्री एम. सी. छागला ने भी यही कहा की शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओ ने भूल की।

कोठारी कमीशन ने भी शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप की विवेचना करते हुए अपने विचार नि० लि० रूप मे व्यक्त किये है- " हमने समस्या

का गहन अध्ययन किया है हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती तथा दूसरा राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में समझना चाहिए।"

डॉ॰वी॰पी॰ लुल्ला के अनुसार → "सबसे महत्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना से मिलता है, जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार कार्य, स्वातन्त्र्य, समानता और भ्रातृत्व प्राप्त होगा। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थानों ने इस सम्बन्ध में क्या किया है? कौन से परिवर्तन किये हैं, जिससे उपर्युक्त सूत्रों का प्रचार हो अथवा उनके आधार पर विद्यार्थियों का गठन हो।"

भारतीय संविधान में शिक्षा

Education in the Indian Constitution → संविधान का किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक संगठन, संस्था, राष्ट्र अपना संविधान बनाने के बारे में विचार करता है, ताकि उपयुक्त नियोजन द्वारा यह प्रगति कर सके। इस प्रकार उस सामाजिक समूह के लिए संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, इस देश के शासकों ने संविधान की रचना की, जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों का समावेश किया गया है। अतः हमारा संविधान हमें स्पष्ट रूप से हमारे मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों इत्यादि के बारे में बताता है।

③

संविधान के अन्दर सभी देशवासीयों को एक समान रखा गया है, सभी जातीयो, तथा वर्ग को एक समान माना गया है। किसी मे कोई भेद भाव नही रखा गया है। संविधान मे सभी देशवासीयों के मौलिक अधिकारो के बारे मे बताया गया है। यह सभी नागरिको के मह्त्व व्यक्ति की गरिमा को को सुनिश्चित करते हुए भाईचारे तथा राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से नवीन भारतीय समाज का चित्र दर्शाती है। प्रस्तावना बताती है- "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमेशा तैयार रहे गे।

संविधान ने भारतीयों के लिए प्रजातांत्रिक सामाजिक प्रणाली का उल्लेख किया है। नि० लि० बातें विचारणीय है-

1. भारत एक लोकतांत्रिक समाज होगा।
2. भारतीय लोकतंत्र व्यवहार मे समाजवादी होगा।
3. भारतीय लोकतांत्रिक सामाजिक प्रणाली धर्म निरपेक्ष होगी,
4. भारतीय प्रजातांत्रिक समाजिक प्रणाली सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय प्रदान करेगी

(5) भारतीय लोकतन्त्र सभी नागरिकों को आत्म अभिव्यक्ति, धर्म में विश्वास एवं अभ्यास की स्वतन्त्रता देगा।

(6) भारतीय सामाजिक प्रणाली में सभी नागरिकों को गरिमा तथा अवसर की समानता प्रदान की जाएगी।

(7) भारतीय संविधान भ्रातृत्व भाव, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को महत्व प्रदान करेगा।

भारत संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण धाराएं एवं उपलब्ध है, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। ये धारा इस प्रकार है।

1 धारा 28(1) - "राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी परीक्षा-संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।"

2 धारा 29(1) "भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा।"

(3) धारा 29 (2) - "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।"

(4) धारा 45 - "राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष के नहीं होंगे, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

⑥ धारा 343 - "देव नागरी लिपि में हिन्दी, संघ की राजभाषा होगी।"

⑦ धारा 350 (अ) - "प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी, भाषाई अल्प संख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृ-भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

⑧ धारा 351 - "हिन्दी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा, जिससे वह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।"

शिक्षा से संबंधित संवैधानिक विशेषताएँ

Constitutional Features Relating to Education

① निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा → भारतीय संविधान की 45 वी धारा के अनुसार, "संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयत्न करेगा।"

② शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अल्पसंख्यकों को अधिकार → भारतीय संविधान की धारा 29 और 30 अल्पसंख्यकों को कुछ सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है, ताकि वे अपनी इच्छा से शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन कर सकें।

① धारा 30 के अनुसार → (i) "सभी अल्पसंख्यक जातियां, चाहे वे भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकती है।"

(ii) "शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य सरकार किसी भी संस्था के साथ भेद-भाव नहीं करेगी कि उस संस्था को भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक जाति चला रही है।"

धारा 29 के अनुसार → 1 "भारत की सीमा में रहने वाले नागरिकों की कोई भी जाति जिसकी अपनी विशेष भाषा, साहित्य एवं संस्कृति है, को उसके संरक्षण का अधिकार होगा।"

② "किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर राज्य द्वारा संचालित संस्था या राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

③ पिछड़ी जन-जातियों की शिक्षा → धारा 46 यह व्यक्त करती है कि संविधान सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी होगी। उसके अनुसार - "राज्य निम्नजाति के लोगों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति में सावधानीपूर्वक वृद्धि करेगा। विशेष कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति में और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।"

(8) इनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जायेंगे

(I) छात्रों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी

(II) इन परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति योजना पहली कक्षा से आरम्भ की जाएगी।

(III) इन परिवारों के शिक्षित प्रतिभाशाली युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(IV) N.R.E.P और R.L.E.G.P के साधनों का सदुपयोग। ताकि अनुसूचित जातियों के लिए अधिकतम स्तर पर शिक्षा की सभी सुविधाएं दी जाए।

(9) धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा - (अनुच्छेद 28)

(1) राज्य सरकार के फण्ड से पूर्ण तौर पर चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(2) यह धारा उस शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं होगी, जिस संस्था की स्थापना धर्मदान या ट्रस्ट ने की हो, वहां ऐसी शिक्षा दी जाएगी।

(10) मातृभाषा में शिक्षण → भारत जैसे देश में एक राष्ट्रीय भाषा तो हो सकती है। परन्तु मातृभाषा एक नहीं है। विभिन्न प्रांतों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। और जब तक उन्हें अपनी मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता जब तक वे सच्ची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते।

(6) हिन्दी का प्रचार ⇒ संविधान ने राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के विकास एवं प्रचार की व्यवस्था की है।

धारा 351 यह व्यक्त करती है कि "राष्ट्रीय भाषा का विकास (हिन्दी) केन्द्र का मुख्य उत्तरदायित्व है, ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी लोगों के लिए निर्देश का माध्यम हो।" शिक्षा मन्त्रालय ने भी इस दिशा में योग्य कदम उठाए हैं।

(7) स्त्री शिक्षा ⇒ स्त्री शिक्षा के संदर्भ में धारा 15(3) राज्य को स्त्री व उसकी शिक्षा की विशिष्ट व्यवस्था का दायित्व प्रदान करती है कि "राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक में भेद-भाव नहीं करेगा।"

(8) शिक्षा और मौलिक अधिकार ⇒ भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो वह हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में न्याय जा सकता है।

(I) धारा 14 कानून के समक्ष समानता ⇒ यह धारा बताती है। कि भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समता अथवा कानूनों के समान संरक्षण से इंकार नहीं करेगा।

(2) धारा 15 धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही यह धारा बाती है।

(b)
(3) धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता → यह धारा वर्णन करती है कि
(1) सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति संबंधी के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी।
(2) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, सम्प्रदाय लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर सरकार के अधीन किसी नियुक्ति रोजगार अथवा पदवी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
(4) धारा - 28 धार्मिक निर्देशों की उपस्थिति के लिए स्वतन्त्रता →
(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड से चलने वाली शैक्षणिक संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए
(5) धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण → भारत अथवा इसके किसी भी ~~भाग~~ भाग में रहने वाले नागरिकों के वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति होती है, को उसे बोलकर दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार है।
(6) धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने एवं उनका प्रबंधन करने का अधिकार →

(11) (1) सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने एवं

(2) शिक्षा और मौलिक कर्तव्य — अधिकार एवं कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य ~~की सूची दी~~ भी हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारे संविधान की धारा 51(A) में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। धारा 51(A) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का निम्नलिखित कर्तव्य है

(1) संविधान पर दृढ़ रहना एवं इसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

(2) समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

भारतीय संविधान और विभिन्न स्तरों पर सरकार की भूमिका

Indian Constitution and the Role of Government at various Levels

(1) राष्ट्रीय महत्व की संस्था

(2) वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाएं

(3) संगठित एजेंसियों एवं संस्थाएं

शिक्षा - ~~राज्य~~ राजकीय विषय के रूप में समर्थन

In Favour of Education as a state Subject

(12) डॉ० वी० के० आर० वी० राय के अनुसार शिक्षा को एक केन्द्रीय संयुक्त विषय बनाने के लिए संविधान मे सुधार की बात हो रही है, वह अग्रलिखित कारण प्रचलित स्थिति मे उचित नही है-

(i) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करने हेतु साधनों की वृद्धि में राज्य अपनी सक्रियता खो देगा।

शिक्षा को समवर्ती सूची मे सम्मिलित करने में समर्थन

Arguments in favour of making Education on the concurrent List

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जैसे M. C. चागला, पी आर कृपाल डो वीक्षा और जे पी. नायक ने शिक्षा को समवर्ती सूची' मे शामिल करने मे योगदान दिया है।

संघीय राजकीय एव समवर्ती सूची और शिक्षा की प्रकृति

Union State and concurrent List and nature of Education

भारतीय संविधान मे तीन सूचियां तैयार की गई है। यद्यपि संविधान मे 1935 के भारत सरकार अधिनियम को शब्दशः स्वीकार किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार को शिक्षा के प्रति जवाबदेह ठहराया गया है

संघ सूचि एव केन्द्र सरकार के शैक्षिक कर्तव्य

→ संघ सूचि के विषयों

(13) सन्दर्भ मे केन्द्र सरकार कानून निर्मित कर सकती है। इनमें से उपबन्ध 13, 62, 63, 64, 65 शिक्षा से सम्बन्धित है, इनमें से प्रमुख उपबन्ध मूलरूप से शिक्षा के बारे मे है। शिक्षा के विस्तार को बढाने के लिए यह उपबन्ध बनाये गये है।

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था संविधान द्वारा उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है जो संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। जिन्हे विधानमण्डल जब भी चाहे, जैसा भी चाहे, बदल नही सकते। इस दृष्टि से ~~स्वतन्त्रता~~ अधिकारों का संशोधन संविधान द्वारा निश्चित क्रिया द्वारा होता है।

मौलिक अधिकारों का स्वरूप तथा विशेषताएं

(1) मौलिक अधिकारो का विस्तृत वर्णन → भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार काफी विस्तृत है। संविधान के तीसरे अध्याय मे यह अधिकार पूरे विस्तृत है। संविधान मे यह 24 धाराओं मे दिए गए हैं जिन्हे 6 भागों मे बाँटा गया है। बहुत से अनुच्छेदों 19 वें में दी गई स्वतन्त्रताओं को 6 भागो मे बाँटा गया है।

(14) इसलिए हमारे अधिकारों के वर्णन काफी विस्तृत है।

(2) सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार → भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों में कुछ सकारात्मक हैं। कुछ नकारात्मक है।

(3) यह सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल है
मौलिक अधिकार देश की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार है—जैसे छुआछूत की समाप्ति, बेगार का अन्त, स्त्रियों व बच्चों के शोषण को रोकने की विशेष व्यवस्था, पिछड़ी जाति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबील के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था आदि।

(4) प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता नहीं—भारतीय नागरिकों को केवल वही अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान में दिए गए हैं.

(5) नागरिकों तथा गैर-नागरिकों में अन्तर

(6) अधिकार पूर्ण और असीमित नहीं हैं।

(7) मौलिक अधिकार न्याय-संगत है।

(8) सुरक्षा सेनाओं के सम्बन्ध में कुछ धाराएं

(9) मौलिक कर्तव्य-42

(10) अल्प संख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा

(11) अधिकारों का सामाजिक-आर्थिक पहलू

(12) मूल-अधिकार सार्वभौमिक है

(13) यथार्थवादी दृष्टिकोण

(14) मूल अधिकार साधन, साध्य नहीं

(15) मूल अधिकार कैदियों को भी प्राप्त है।

(16) मूल अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है।

भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार

भारतीय नागरिकों को छः प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। इनका वर्गीकरण नि० लि० है-

(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)- इस अधिकार का वर्णन नि० लि० है-

(1) कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद-14) → संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

(2) भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद-15) इस के आधार पर सामाजिक समानता की स्थापना पर बल दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

(3) अवसर की समानता (अनुच्छेद-16) → के अनुसार सभी नागरिकों के लिए सरकारी पद पर नियुक्त के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।

(4) अस्पृश्यता का अन्त (अनुच्छेद-17) → इस के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इससे उत्पन्न किसी नियोग्यता को लागू करना संविधान के अनुसार न केवल अपराध होगा। इस संबंध

(16) बल्कि कानून के अनुसार दण्डनीय भी होगा।
(5) उपाधियों का अन्तर (अनुच्छेद 18)
(4) स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
(1) छः मौलिक स्वतन्त्रताएं (अनुच्छेद-19) → भारतीय
(2) मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत 7 मूल स्वतन्त्रताओं का वर्णन किया गया था। परन्तु 44वें संशोधन के अन्तर्गत संपत्ति संबंधी अधिकार को संविधान के इस भाग से निकाल दिया गया है। अतः अब भारतीयों को निम्न छः स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं।

(1) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।
(2) शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की आजादी
(3) समुदाय व संघ बनाने की आजादी
(5) व्यवस्था की आजादी
(2) अधिनियम दण्ड निषेध (अनुच्छेद-20) → धारा 20 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जब तक कि उसने अपराध करने के समय किसी प्रचलित कानून को न तोड़ा हो और न ही कोई व्यक्ति उससे दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करते समय प्रचलित कानून के अधीन दिया जा सकता था।
(3) जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा
(4) बंदियों को प्राप्त अधिकार (अनुच्छेद-22)
(5) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद-23-24)

(4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(5) सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्वतन्त्रता का अधिकार - (अनुच्छेद 29-30)
(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) के अनुसार, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश अथवा लेख जारी करने का अधिकार है। जिनके फलस्वरूप अधिकारों की रक्षा हो सकती है।

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख -
(2) परमादेश लेख
(3) प्रतिषेध लेख
(4) उत्प्रेषण लेख
(5) अधिकार का पृच्छा लेख

मौलिक अधिकारों की आलोचना

(1) कुछ विशेष अधिकारों का अभाव
(2) मौलिक अधिकारों की अपेक्षा बन्धक अधिक हैं।
(3) मौलिक अधिकार वकीलों का स्वर्ग है
(4) साधारण नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कठिन है
(5) संविधान के बाहर कोई अधिकार न होना
(6) अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं
(7) सामाजिक प्रगति में बाधा
अन्य प्रतिबन्ध

निष्कर्ष - उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार सीमाएँ लगी हुई है। परन्तु संसार के किसी भी सभ्य राज्य में निर्बाध एवं असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं।

राजनीति के निर्देशक सिद्धान्त
Directive Principles of State Policy

किसी भी देश में राजनीति का अपना विशेष महत्व होता है। और किसी भी देश की राजनीति उस की व्यवस्था को चलाने में सहायक होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तथा यह जनता का राज्य है। यह सरकार वह की जनता के द्वारा चुनी जाती है। भारत संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद -36 से लेकर 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। ये निर्देशक सिद्धान्त संविधान सभा के संवैधानिक परामर्श सर बी. एन. राव के सुझाव पर संविधान के प्रारूप में सम्मिलित किए गए थे। यह प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली थी। क्योंकि इस देश में संविधान में ये सिद्धान्त मौलिक अधिकारों के साथ-2 1937 में अपनाए गए थे

(17) निर्देशक सिद्धान्तों का उद्देश्य

Purpose of Directive Principles → संविधान निर्माताओं को इस बात का विश्वास था कि मौलिक अधिकारों द्वारा स्थापित किया राजनैतिक प्रजातन्त्र महत्वहीन हो जायगा, यदि भारत में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना न की गई। इसलिए उन्होंने निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में कुछ ऐसे नियम संविधान के भाग में अंकित किए जिन पर कार्यान्वयन करने से वास्तविक अर्थों में भारत में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना हो सकती है।

निर्देशक सिद्धान्त का वर्गीकरण

Classification of the Directive

(1) सामान्य सिद्धान्त
(2) समाजवादी सिद्धान्त
(3) गांधीवादी सिद्धान्त
(4) उदारवादी सिद्धान्त

निर्देशक सिद्धान्तों की आलोचना

Criticism of the Directive Principles of the ~~the~~ State Policy

Article shared by Ajay Kumar

Many critics have been very vocal in criticising the existence of ~~unen~~ unenforceable Pious declarations in the constitution of India.

(18) Main Points of Criticism

(1) Lack of Legal Force → The critics hold that as unenforceable directives, these Principles do not carry any weight Their violation or non-realisation cannot be challenged in any court.

(2) Mere Declarations → The Directive Principles are mere declaration of intentions or instructions which are to be observed and secured by the State at will. The constitution neither makes them Justiciable nor fixes the time-limit within which these are to be secured

(3) Unsystematic Enumeration and No classification → Another Point of criticism against the Directive Principles has been that these have been neither systematically stated nor Properly classified. These appear to be a collection. These appear to be a collection of some Pious declarations which have only a moral value.

(4) Lack of clarity → Several Directives lack clarity Several Principles have been repeated at different places. The Directive to Promote international peace and

(4) and friendly cooperation among all the nations is a laudable declaration. But the real issue is how to secure it? No clear guideline has been given for this Purpose

(5) Reactionary in Nature — Many critics hold that written during 1947-49 several of the Directives appear to be reactionar in contemporary times. The Party in Power at a Particular time can use some of the directives for Political and selfish ends. Moreover, enumeration of these Principls involve an attempt to unduly bind the Present with the Past

(1) निर्देशक सिद्धान्त व्यायोपित नहीं है,
(2) सिद्धान्त केवल खोखले वचन तथा पवित्र भावनाएँ है
(3) निर्देशक सिद्धान्तों का अस्तित्व तर्कपूर्ण नहीं
(4) कुछ सिद्धान्तों पर कार्यान्वयन करना बहुत कठिन
(5) निर्देशक सिद्धान्त अनिश्चित तथा अस्पष्ट
(6) ये सिद्धान्त किसी विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं
(7) साधनों की कोई व्यवस्था नहीं
(8) इन सिद्धान्तों के उद्देश्य सम्बन्धी अस्पष्टता

राज्य की निति के निर्देशक सिद्धान्तों का महत्व

importance of Directive Principles of State Policy

निर्देशक सिद्धान्तों की उक्त आलोचना का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सिद्धान्त सर्वथा व्यर्थ हैं तथा इनका कोई लाभ नहीं है। निर्देशक सिद्धान्तों के कुछ महत्पूर्ण लाभ भी हैं जो इस प्रकार हैं।

(1) निर्देशक सिद्धान्त मौलिक हैं। → अनुच्छेद -37 में जहां सिद्धान्तों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, वहां इसी ही अनुच्छेद द्वारा इनको मौलिक घोषित किया गया है, तथा इनका पालन करना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य बताया गया है।

(2) सरकार के लिए नेतृत्व के आदेश → यदि जो सिद्धान्तों का निर्देश दिया गया है तो एक स्वस्थ सही भारतीय समाज की स्थापना की जा सकती है। इन के पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है पर यह जनता के हीत मे होते हैं,

(3) कल्याणकारी राज्य के आदर्श कल्याणकारी से अभिप्राय यह है। की सब का भला करना तथा एक समान दृष्टि से देखना इन सिद्धान्तों से सब का कल्याण होता है।

(21) जिसके आधार पर किसी भी आधुनिक संस्था में किसी भी कल्याणकारी राज्य की नीव रखी जा सकती है। जिसमें लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय मिले, स्त्री और पुरुष को एक जैसे कार्य का समान वेतन मिले।

(4) निर्देशक सिद्धान्त न्यायालयों के लिए पथ-प्रदर्शक

हमारे देश मे न्याय व्यवस्था को देखने के लिए ~~न्यायालय न्यायालयों न्यायालयों~~ न्यायालयो की व्यवस्था कि गई ~~की~~ है। पर इन ~~न्यायालयों~~ न्यायालयो को भी संविधान के ~~[illegible]~~ निर्देशक सिद्धान्तो से बच नही सकते। संविधान मे मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति संसद को दी गई है।

(5) लाभदायक नैतिक आदर्श

कुछ विचारक निर्देशक सिद्धान्तो को नैतिक आदर्शों का नाम देते हैं। संविधान मे इन सिद्धान्तो को अंकित करके संविधान निर्माताओ ने इनके द्वारा जनता तथा सरकार के समक्ष राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

(6) निर्देशक सिद्धान्तो का संवैधानिक महत्व

यह निर्देशक सिद्धान्त सरकार के लिए अनिवार्य है, तथा इन का उल्लंघन करने वाले को कानून से सजा दी जाएगी।

(22) नीति मे स्थिरता तथा निरन्तरता → निदेशक सिद्धान्त एक आदर्श नीति का संग्रह है जो भी राजनैतिक दल सरकार बनाएगा, इन सिद्धान्तो को आसानी से ओझल नही कर सकेगा क्योकि ये सिद्धान्त जन हित मे हैं। इसलिए प्रत्येक सरकार को नीति के आधार पर निदेशक सिद्धान्त होंगे तथा इस प्रकार सरकार की नीति मे स्थिरता तथा निरन्तरता बनी रहेगी।

(8) जनमत का समर्थन → निदेशक सिद्धान्त किसी विशेष राजनैतिक दल, धर्म, जाति या वर्ग के लोगो की भलाई का प्रतिनिधित्व नही करते अपितु ये सिद्धान्त जनता के भले के लिए है।

(9) सरकार की उपलब्धियो को जांचने की कसौटी → निदेशक सिद्धान्त ऐसा आदर्श है जिनकी कसौटी पर जनता सरकार की उपलब्धियों की जांच करती है। किसी भी शासक दल की सफलता का इस बात से पता चल सकता है कि उस दल ने किस हद तक निदेशक सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया है। प्रजातन्त्रीय प्रणाली होने का कारण कोई सरकार इन सिद्धान्तो की ओर मुंह मोड कर जनता को अपने पक्ष मे नही कर सकती।

(10) निदेशक सिद्धान्तों के महत्व की केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता → निदेशक सिद्धान्तों के महत्व को अनुभव करते हुए केन्द्रीय सरकार ने प्रथम सितम्बर 1971 को कानून आयोग

(23) का पुनर्गठन किया। इसके नए अध्यक्ष श्री. पी. बी. गजेन्द्र गडकर नियुक्त किए गए

राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों की उपलब्धियां

Achievements of Directive Principles of State Policy

जमींदारी प्रथा की समाप्ति

(1) Abolition of Zamindari System
(2) Policy of Nationalisation
(3) कमजोर वर्गों की प्रगति के लिए यत्न
(4) पंचायती राज की स्थापना

शिक्षा से सम्बन्धित संविधान में विभिन्न धाराएं

Articles of indian constitution Related to Education

→ 42वी संशोधन अधिनियम के अनुसार शिक्षा को भूमियत तथा राज्यों को दोनों को शिक्षा का उत्तरदायी बना दिया गया।

(1) प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
(2) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान
(3) विश्वविद्यालयों के कार्यों पर नियंत्रण करना।
(4) प्रशिक्षण संस्थाओं को चलानों।
(5) प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षा का प्रावधान करना।
~~वित्तीय~~ वितीय सहायता प्रदान करना।

(2) उच्चतर शिक्षा तथा अनुसन्धान

(1) सूची 1 के प्रवेश 63 मे राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं

(ii) सूची 1 के प्रवेश 64

(iii) सूची 1 मे प्रवेश 65

(iv) सूची 1 मे प्रवेश 66

(3) विदेशों से सम्बन्धित शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध

(4) केन्द्रीय प्रदेशों में शिक्षा

(5) आर्थिक तथा सामाजिक योजना

(7) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।

(8) कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा

विकलांग बच्चे

अल्प सख्यंको की शिक्षा

(Education of the Minorities)

Article 29 के अनुसार अल्पसंख्यो के हितों की रक्षा की जाएगी।

Article 30 शैक्षिक सस्थाओं को स्थापित करने तथा उनके प्रशासन पर अल्पसंख्यको को अधिकार

(1) धर्म पर भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपने चुनाव के आधार पर स्कूल खोलने तथा उन्हे चलाने का अधिकार होगा।

(2) प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का माध्यम मातृभाषा

हिन्दी का प्रसार

Spread of Hindi

(25)

Article 351 के अनुसार, "केन्द्री का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वह हिन्दी का जोकि राष्ट्रीय भाषा का विकास करे ताकि यह अभिव्यक्ति का इस संयुक्त भारत की संस्कृति का माध्यम का काम करे

(11) धार्मिक शिक्षा

① Article 25, 28(1), 28(2) Article 15 Article 338, 340, 15(3) 153, धार्मिक शिक्षा के अन्दर आते है।

बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

The Right of children to Free and Compulsory Education Act (2009)

86वां संविधान 2002

जीवन का अधिकार के तहत मूलभूत अधिकार में जोड़ा गया।

② शिक्षा का अधिकार → राज्य, छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

① बच्चो के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

(22) 16 फरवरी 2010 को जारी अधिसूचना के आधार पर अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हुआ।

(8) निःशुल्क से तात्पर्य - किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस / शुल्क / व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।

(4) ड्रॉपआउट एवं आनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के

(5) अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण।

(6) प्रवेशित बच्चों को 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार

(7) प्रवेश हेतु जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानांतरण पत्र की बाध्यता नहीं।

(8) किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखने अर्थात कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध

(9) बच्चों को शारीरिक दंड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित

(10) समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की बाध्यता।

शिक्षक → नियुक्ति हेतु शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा।

(11) निर्धारित योग्यता अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 5 वर्ष में सुनिश्चित करना।

(28) • अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण।
→ शिक्षक का अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित
→ शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित
– शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण

शाला → निर्वाचित प्रतिनिधियों अभिभावक एवं शिक्षक की शाला।
→ कमजोर एवं वंचित वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व
→ दण्ड – केपिटेशन फीस का 10 गुना
→ बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं
→ बिना ~~मान्यता~~ नार्मस एवं मापदण्ड के कोई भी मान्यता नहीं

बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद संचालन पर रु. 1 लाख का तदुपरान्त प्रतिदिवस रु. 10,000

बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार →

(1) मापदण्ड पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष का समय सीमा
(2) शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति हेतु 6 माह, किसी भी शाला मे 10 ~~प्रतिशत~~ प्रतिशत से अधिक रिक्तियाँ नहीं
(3) राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा वास्तविक फीस जो भी कम हो, के आधार पर फीस की प्रतिपूर्ति

(29) मापदण्ड शिक्षक छात्र अनुपात

प्राथमिक स्तर पर - छात्र शिक्षक अनुपात - समय सीमा 6 माह

- 60 बच्चों तक - 2 शिक्षक
- 61 से 90 बच्चों पर - 3 शिक्षक
- 91 से 120 बच्चों पर - 4 शिक्षक
- 121 से 200 बच्चों पर - 5 शिक्षक
- 150 से अधिक होने पर - 5 शिक्षक + 1 प्रधानाध्यापक
- 200 से अधिक होने पर - 1:40 का अनुपात (प्रधान अध्यापक) छोड़कर

माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात - समय सीमा 6 माह

→ कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा एवं एक शिक्षक विज्ञान एवं गणित एक सामाजिक विज्ञान, एक भाषा

(2) 35 बच्चों पर - कम से कम एक शिक्षक
(3) 100 बच्चों से अधिक होने पर
(4) पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक
(5) सभी मॉड्यूल के लिए उपयुक्त भवन
(6) बाधामुक्त शिक्षा
(7) बालक एवं बालिका के लिये
(8) बालक एवं बालिका के लिये पृथक शौचालय

मापदण्ड न्यूनतम कार्यदिवस / शिक्षण के घण्टे

200 दिवस - प्राथमिक स्तर
220 दिवस - माध्यमिक स्तर

(9) शिक्षक के अकादमिक उत्तरदायित्व
(10) पाठ्यक्रम
(11) स्थानीय निकाय के दायित्व
(12) ऐसी रीति में सुनिश्चित करना
(13) राज्य स्तर से की गई कार्यवाही
(14) जिला स्तर से विशेष ध्यान दिये जाने वाले बिन्दु
(15) अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार
(16) आवश्यक कार्यवाही
(17) समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

(1) जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं करे।

(2) स्कूल में समस्त बच्चों को दर्ज कर उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं उनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग करे।

(3) प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(4) किसी भी शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं की जायेगी।

Unit=3

प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण

Universation of Elementory Education

Universation का अर्थ है। किसी विशेष संस्कृति के सभी नागरिकों की संबद्ध अनुक्रियाएं (Conditioned responses) जो विचार स्वभाव तथा जीवन शैली को निबद्ध करती है। इस दृष्टि से किसी भी शब्द की

(31) प्रगति उसके शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। शिक्षा के अभाव में अज्ञान का विकास होता है, स्वार्थ पनपता है और आदमी सिकाऊ हो जाता है। मानव मूल्य का पतन होने के कारण ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो तनिक से स्वार्थ के कारण पूरे देश को बेचने का साहस कर डालते हैं। इसलिए मानव मूल्यों के विकास, नागरिक गुणों की उत्पत्ति एवं पढ़ने लिखने तथा गिनने की शिक्षा के विकास, नागरिक गुणों की उत्पत्ति एवं पढ़ने लिखने तथा गिनने की शिक्षा के साथ-साथ प्रबुद्ध एवं विवेकशील मनुष्य का निर्माण करने के लिए सार्वभौम शिक्षा आवश्यक है।

1947 में भारत में 15 प्रतिशत साक्षरता थी जिस देश में 85 प्रतिशत निरक्षर हों, उसे प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए शिक्षा सशक्त माध्यम थी। इसलिए संविधान में 6-11 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं की सार्वभौम रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। सार्वभौम शिक्षा का लक्ष्य 1960 ई० तक प्राप्त हो जाना चाहिए था किन्तु साधनों के अभाव, जनसंख्या वृद्धि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े तथा राजनीतिक दावपेंचों ने अभी तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने दिया। आज तक इस मांग की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसलिए आज सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बालक की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में

के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

सार्वभौमिक शिक्षा के तत्व
(Elements of Universal Education)

सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की धारणा अत्यन्त आवश्यक एवं व्यापक है। इसका मूल लक्ष्य है। प्रत्येक बालक विद्यालय में जाए, रहे तथा शिक्षा प्राप्त करने ही समाज में इस दृष्टि से सार्वभौम शिक्षा के तीन पक्ष हैं:-

① प्रवेश Enrolment
② धारण Retention
③ प्रगति Progress

लक्ष्य प्राप्ति के उपाय

सार्वभौम नामांकन के लिए आचार्य राममूर्ति समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन करके ये उपाय प्रस्तावित किये-

① दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय खोलना, स्वैच्छिक विद्यालयों की व्यवस्था करना।
② स्वैच्छिक संस्थाएं कम से कम 150 की जनसंख्या वाले गांव में कम से कम 30 छात्रों के लिए विद्यालय का संचालन करेंगी।
③ समुदाय की सहायता से अनुदेशकों की नियुक्ती की जाएगी।

(34)

स्कूल शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए कुछ ऐसे विशेष है जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो शिक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे:-

① M.D.M

② S.S.A

③ R.M.S.A

① M.D.M Mid-day-Meal मध्याह्न भोजन

~~Mida~~ Mid day Meal Yojana आज के समय मे एक चिर परिचित योजना है। 1997 के बाद पैदा हुए और सरकारी स्कूल मे पढे हर बच्चे ने इसका लाभ लिया होगा। लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है की ये Mid day Meal योजना है Kya? और हमारे बच्चो को कुपोषण से बचाने हेतु इस scheme मे हमारा क्या योगदान है। नही की, कोई बात नही आज हम आपको इस योजना की जितनी जानकारी हमसे एकत्र हो सकती थी, आपसे साझा करने वाले हैं।

Mid Day Meal भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इस Scheme की शुरुआत भारत वर्ष मे 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इस योजन का लक्ष्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयो मे पढने वाले बच्चो को पोषण युक्त भोजन और उनके माता-पिता को बच्चो को स्कूल

भेजने के लिए प्रेरित करना था। अपने पहले पडाव में इस Scheme को 2408 खंडो अर्थात ब्लोकों मे शुरू किया गया। और अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों अर्थात वो विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, लागू किया गया। उसके बाद इसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों अर्थात कक्षा 8 तक क्रियान्वित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान
Sarva Siksha Abhiyan (S.S.A)

प्राथमिक शिक्षा ही हमारे शब्द की उच्च सरचंना की मुख्य नींव मानी गई है। 'सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया, जैसा कि भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके तहत 6-14 के बच्चों (2001 मे 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के ~~संतोष~~ के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है।

(35) S.S.A मे 8 मुख्य कार्यक्रम है। इसमें (ICDS) और आंगनवाडी आदि शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 मे हुई जिसमें सारी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया। बाद मे यह योजना SSA के साथ विलय हो गई।

उद्देश्य →

(1) 2003 तक सभी स्कूल मे हो

(2) 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना

(3) सतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना.

(4) 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना।

(5) वर्ष 20 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्वशिक्षा अभियान

S.S.A की विशेषताएं → (1) सर्वशिक्षा अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्राप्त किया जाता है।

(2) सामाजिक न्याय को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा के द्वारा बढावा दिया जाता है।

(3) सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा संस्थागत अधिसंरचना भवनों की तथा गुणवत्ता को बढावा दिया जाता है।

(36)
(4) यह एक राजनीति परिचर्या है। जिसके द्वारा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को देश भर में बढ़ावा दिया जाता है।
(5) यह केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार की आपसी साझेदारी होती है।

सर्वशिक्षा अभियान की नीतियां
Strategies of Sarva Shiksha Abh

(1) संस्थागत सुधार
(2) सामुदायिक स्वामित्व
(3) निरन्तर वित्तीय पोषण
(4) संस्थागत शिक्षा निर्माण
(5) शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धाराओं मे सुधार
(6) पूर्ण-पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित जांच पड़ताल
(7) समुदाय की जवाबदेही
(8) लड़कियों की शिक्षा पर बल
(9) विशिष्ट समूह को आधार बनाना
(10) प्री-प्रोजेक्ट फेस
(11) गुणवत्ता पर बल
(12) अध्यापकों की भूमिका
(13) जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा योजना
(14) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

S.S.A की गुणवत्ता → प्रारम्भिक बाल्यावस्था की उच्च गुणवत्ता प्रदान करके 6 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करना।

(अ) शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना।
(ब) पूर्व सेवा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना।
(स) अच्छे विद्यालय बिल्डिंग व उपकरण सभी विद्यालयों को देना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान परिचय

R.M.S.A शिक्षा देश मे उच्च स्तर पर चिरस्थायी विकास प्राप्त करने का विश्वस्त साधन है इस संबंध मे प्राथमिक शिक्षा सहभागिता बुनियादी अभावो से मुक्ति तथा उनसे पार पाने के मूल कारक के रूप मे कार्य करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना को सुविधाजनक बनाती है। कई वर्षो से, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जगत मे द्रुत परिवर्तन किए है। और जीवन की गुणवत्ता सुधारते हुए सामान्य आवश्यकताओ को पूरा किया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो मार्च 2009 मे माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता मे सुधार के लिए शुरू की गई। इस योजना का कार्यान्वयन 2009-10 मे मानव जनशक्ति सृजित करने तथा वृद्धि और विकास तथा समानता को तेज करने हेतु पर्याप्त स्थितियाँ उपलब्ध कराने के साथ-2 भारत मे सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन देने के लिए आरंभ हुआ। एसएसए की R.M.S.A बहुपक्षीय संगठनो, ~~सर~~ गैर-सरकारी

(14) संगठनों, सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं, अनुसंधान एजेंसियों तथा संस्थाओं सहित अधिकांश स्टेकहोल्डरों से लाभप्रद सहायता लेता है। योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श। कार्यान्वयन के के पाँचवें वर्ष में आर.एम.एस.ए. 50,000 सरकारी तथा स्थानीय निकाय माध्यमिक स्कूलों को शामिल करता है। इसके अलावा 30,000 अतिरिक्त सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल भी R.M.S.A के लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कोर क्षेत्रों में अवसंरचना तथा सहयोग नहीं ले सकते।

उद्देश्य

→ (1) इस योजना मे 2005-6 मे 52.21% की तुलना मे अपने कार्यान्वयन के पांच वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा IX-X के लिए 75% का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया है।

(2) सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करना।

(3) लैंगिक, सामाजिक तथा निःशक्तता बाधाएं हटाना।

(4) वर्ष 2017 अर्थात 12वी पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर शिक्षा तक व्यापक पहुंच।

(5) वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल मे बनाए रखने मे वृद्धि और उसका सर्व सुलभीकरण।

(40) R.M.SA और उच्च माध्यमिक स्कूलों में गुणवत्ता सुधार एवं आर.एम.ए के अन्तर्गत शिक्षा

(1) गुणवत्ता का सार्वभौमिकरण
(2) बच्चे के विकास पर केन्द्रित करना
(3) माध्यमिक शिक्षा के प्रावधान के मान चित्रण
(4) माध्यमिक शिक्षा और प्रबन्धन ~~के मान~~ ~~[illegible]~~ सूचना प्रणाली
(5) माध्यमिक शिक्षा के प्रावधान के मान चित्रण।
(6) पाठ्यक्रम डिजाइन और निर्माण
(7) प्रयोगशाला और उपकरण
(8) कला और शिल्प की शिक्षा
(9) अधिगम संसाधन केन्द्र
(10) किशोर शिक्षा कार्यक्रम
(11) छात्रों का मूल्यांकन और परीक्षा सुधार

स्कूल आधारित मूल्यांकन
परीक्षा में सवालों के प्रकार
परीक्षा प्रणाली ~~पर~~ कार्यशालाएं
राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान
मार्ग दर्शन और परामर्श
शिक्षक और क्षमता निर्माण
शैक्षिक योजनाकार और प्रशासन का उन्मुखीकरण
निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान
निगरानी के तरीके

Globalisation
विश्वीकरण

विश्वीकरण, विभिन्न देशों के लोगों के लिए अलग-2 अर्थ है। आज के आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रत्येक देश विकास के लिए अग्रसर है। सन 1991 से भारत सरकार ने देश की गति तेज करने के लिए अनेक आर्थिक सुधार आरम्भ किए। इन सुधारों को तीन नीतियों के रूप में देखा जा सकता है-

(1) उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग (Licensing-L) के स्थान पर उदारीकरण Liberation-L) नीति लागू करना

(2) औद्योगपतियों के लिए 'कोटा' (Quota-Q) प्रणाली के स्थान पर (Privatisation-P) की नीति लागू करना

(3) आयात-निर्यात के लिए 'परमिट' (Permit-P) के स्थान पर वैश्वीकरण (Globalization) की नीति लागू करना।

इन सुधारों को प्राय: नई आर्थिक नीति का नाम दिया जाता है।

नई आर्थिक नीति

- उदारीकरण Liberalization
- निजीकरण Privatisation
- वैश्वीकरण Globalization

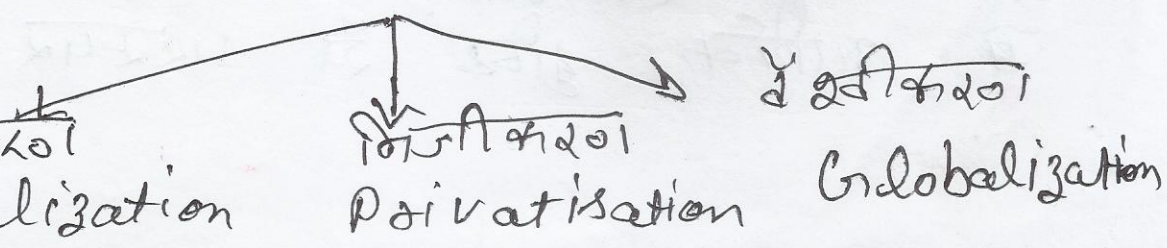

(51)

आज का युग विज्ञान का युग है दूरियाँ घट गई हैं। विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों मे सभी किसी न किसी रूप मे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों की सोच व्यापक हुई है और वैश्वीकरण इन सबका परिणाम है। यदि सच पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज की आवश्यकता है। लेकिन इसकी आवश्यकता व महत्व पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है। कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है?

वैश्वीकरण का अर्थ → वैश्वीकरण एक सोच है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है। जो व्यक्ति की सोच ~~है। एक व्यापक~~ एवं दृष्टिकोण ~~है। इसे~~ को व्यापक बना देती है। और वह किसी भी विषय अथवा समस्या को केवल स्थानीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे न देखकर पूरे विश्व के सन्दर्भ मे देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि सभी राष्ट्रों मे आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भरता है

(12) संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण व्यक्ति में विश्व चेतना का विकास करने वाली प्रक्रिया है।

"वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण वैश्विक सम्बन्धों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास।"

वैश्वीकरण का महत्व →

(1) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए
(2) आर्थिक विकास
(3) राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता
(4) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना
(5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

लाभ →
(1) विश्व परिवार की भावना का विकास
(2) प्रतियोगिता की भावना का विकास
(3) शैक्षिक आदान-प्रदान
(4) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान और रोजगार के अवसर
(5) मुक्त व्यापार को बढ़ावा और आर्थिक विकास में सहायता।

Privatization
निजीकरण

इसका अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सरकारी स्वामित्व अथवा प्रबन्ध को समाप्त करना है। ऐसा दो प्रकार से किया जाता है। सरकारी उद्यमों की एकदम निजी उद्यमों को बिक्री। ॥ मिश्रित उद्यमों जिन उद्यमों का स्वामित्व तथा प्रबंध सरकार तथा निजी उद्यमियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है से सरकारी स्वामित्व तथा प्रबंध को हटाना।

निजीकरण का मामला → सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) के अकुशल निष्पादन पर निजीकरण का मामला आधारित है। सन् 1951 में आयोजन की प्रक्रिया के आरम्भ किया गया था। संवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के महत्व को औद्योगिक नीति प्रस्ताव (1956) में स्पष्ट तथा निश्चित रूप से घोषित किया था। इसमें कोई शक नहीं कि 1951-1951 की अवधि के बीच भारत अपने औद्योगिक आधार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विस्तार द्वारा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक

(44) परिवर्तन हो सका। अपनी आजीविका के साधन के लिए लोग कृषि से उद्योगों को जानने लगे तथा ~~सकल~~ सकल घरेलू उत्पादक (GDP) मे उद्योगों के प्रतिशत योगदान मे मूलभूत वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भारतीय उद्योग को नवरत्न प्रदान किए है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या मे छोटे रत्न भी दिए गए है।

नवरत्न → भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ मे नवरत्नों से अभिप्राय नौ ऐसे उद्योग है। जिनकी तुलना महाराजा वीर विक्रमादित्य के दरबार के नौ दरबारियों से की जाती है. ये उद्योग इस प्रकार है।

(1) Indian oil corporation
(2) Oil and Natural Gas corporation
(3) Bharat Petroleum corporation Ltd.
(4) Bhart Heavy Electricals Ltd.
(5) Steel Authority of india Ltd
(6) Indian Petrochemical corporation Ltd
(7) Videsh Sanchar Nigam Ltd
(8) National Thermal Power corporation
(9) Hindustan petroleum corporation Ltd

(15) वाद में Gas Authority of India Ltd. तथा Mahanagar Telephone Nigam Ltd

निजीकरण की लाभ तथा हानियाँ

लाभ (1) निजीकरण द्वारा उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को प्रोत्साहित करना

(2) ~~(निजी)~~ निजीकरण द्वारा उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

हानियाँ समाजवादी ढाँचे के समाज की रचना - जिसमें 'सामाजिक हित' को सर्वोच्च माना जाता है। केवल एक शैक्षिक अवधारणा बन कर रह जाती है। इसकी व्यावहारिक वैधता तभी समाप्त हो जाती है जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी उद्यमियों को बेच दिया जाता है।

समान्य स्कूल पद्धति

Common School System

यह शिक्षा पद्धति समाजवादी ढाँचे अनुरूप शिक्षा पद्धति है। शिक्षा आयोग के सुझाव दिये हैं।

शिक्षा आयोग ने अनुभव किया है कि बड़ी कमजोरियो मे से है। सभी बच्चों या समाज के हर स्तर के सभी योग्य बच्चों को अच्छी शिक्षा सुलभ कराने के स्थान पर अच्छी शिक्षा केवल उन मुट्ठी भर लोगों को उपलब्ध है। जिनका चुनाव प्रतिभा के आधार पर नहीं, अपितु फीस चुकाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। इससे योग्यता का समस्त राष्ट्रीय पूल बनाने और उसकी वृद्धि करने मे रुकावट आती है। इस प्रकार यह स्थिति अलोकतान्त्रिक है तथा एक समतापूर्ण समाज के आदर्श से मेल नही खाती। साधारण जनता के बच्चो को घटिया प्रकार की शिक्षा लेने के लिए विवश होना पडता है। चूंकि छात्रवृत्तियो की योजना भी बहुत लम्बी-चौडी नही है। अतः कभी-कभी इन बच्चों से योग्यतम बच्चे भी इन अच्छे स्कूलो मे प्रवेश पाने में असमर्थ रहते हैं। जब कि आर्थिक सुविधा प्राप्त माता-पिता अपने बच्चो के लिए अच्छी शिक्षा खरीदने मे समर्थ होते हैं। यह बात न केवल गरीबों के बच्चो के लिए अपितु अमीर और सुविधा प्राप्त वर्गों के बच्चो के लिए बुरी है।

(11) शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित समान स्कूल पद्धति ⇒ शिक्षा आयोग का कहना है कि यदि इन बुराइयों को दूर करना है और शिक्षा प्रणाली को सामान्य राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण का विशेष रूप से एक शक्तिशाली साधन बनाना है तो हमें लोक शिक्षा की ऐसी समाज स्कूल पद्धति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जिसकी निं लिं विशेषताएँ हो

(1) जो जाति / सम्प्रदाय / समाज, धर्म, आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किए बिना सभी बच्चों को सुलभ हो।

(2) जिसमें अच्छी शिक्षा का अवसर प्राप्त करना, धन या वर्ग पर निर्भर न होकर प्रतिभा पर निर्भर हो।

(3) जो सभी स्कूलों में एक समुचित स्तर बनाए रखेगी तथा कम से कम एक युक्ति संगत संख्या में अच्छे स्तर की संस्थाएं सुलभ करवाएगी।

(4) जिसमें पढ़ाई की कोई फीस नहीं ली जाएगी

(5) जो औसत पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ताकि उसे इस प्रणाली से बाहर के खर्चीले स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने

(स) की आवश्यकता सधारणतया : अनुमत नहीं होगी।

आयोग ने इस बात पर भी दबाव दिया है कि भारत एक सामान्य स्कूल प्रणाली का प्रयास करें, जिससे सभी बच्चे बिना किसी जाति-पाति वर्ग, धर्म तथा आर्थिक भेदभाव से शिक्षा पा सकें।

(1) सामान्य स्कूल (Common School)

(2) पड़ोस स्कूल (Neighbourhood School)

त्रिभाषा सूत्र

The Three Language Formula

भाषा समस्या के समाधान के लिए द्विभाषा सूत्र की अपेक्षा त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मानकर, 1956 में केन्द्रीय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। उस समय से लेकर 1969 तक जब केंद्र सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की, यह अपना अन्तिम रूप ग्रहण करने के लिए अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरा। हम इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विषय सामग्री के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

(49) सूत्र का प्रतिपादन, 1956 - देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1956 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 23 वी बैठक में किया। उसने सरकार के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित दो सूत्रों का निर्माण किया।

पहला सूत्र

(1) मातृभाषा या
(2) क्षेत्रीय भाषा
(3) मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम।
(ii) हिन्दी या अंग्रेजी
(iii) एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा जो (i) और (ii) में न ली गई हो।

दूसरा सूत्र

(1) पहले सूत्र के समान।
(ii) अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा।
(iii) हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए या कोई अन्य आधुनिक भाषा भारतीय भाषा हिन्दी क्षेत्रों के लिए

(50) (2) सूत्र का सरलीकरण। 1961 - उक्त दोनों सूत्रों पर विचार करने के लिए सरकार ने 1961 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में दोनों सूत्रों पर विचार - परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों द्वारा किसी आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन किया जाना सम्भव नहीं है। अपने इस निश्चय के अनुसार, सम्मेलन ने त्रिभाषा - सूत्र का निo लिo सरलीकृत रूप तैयार किया

(1) क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा से भिन्न है।

(2) हिन्दी या अहिन्दी क्षेत्रों में इसके स्थान पर कोई अन्य भारतीय भाषा।

(3) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा

(3) सूत्र में दो संशोधन, 1962 और 1964 - त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके, उसे देश के वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए 1962 की भावात्मक एकता समिति और 1964 के ~~काले~~ कोठारी आयोग द्वारा रचनात्मक कदम उठाए

(57) गए। उनके द्वारा त्रिभाषा सूत्र में किए जाने वाले संशोधन इस प्रकार हैं।

त्रिभाषा सूत्र लागू करने में कठिनाइयाँ

त्रिभाषा सूत्र उत्तर भारत के किसी भी राज्य में सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा या इसे भारतीय भाषाओं के किसी भी रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा या परन्तु यह है। सकता था कि यदि हिन्दी को सम्पूर्ण भारत में परीक्षा माध्यम माना जाए तो उत्तर रहने वाले इसका दक्षिण में रहने वाले लोगों को अधिक लाभ ले सकें।

त्रिभाषा सूत्रीय नियम का सुधार रूप

(1) निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा
(2) उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा
(3) निम्न माध्यमिक स्तर
(4) उच्चतर माध्यमिक स्तर

सिफारिशों के प्रति प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा तीन भाषायी नियम

(1) त्रिभाषा सूत्रीय कार्यक्रम (3) हिन्दी (4) संस्कृत
अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं

आधुनिकीकरण

'Modernization' शब्द किसी पद या स्थिति तथा स्थिर धारना को अभिव्यक्त नहीं करता वरन एक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। यह तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसमें आधुनिक बनने की सकंल्पना निहित हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें सामाजिक परिवर्तन की गति का बोध होता है। यह एक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आधार पर आगे बढ़ती है। यह ऐसा प्रक्रिया नहीं है जिसे समाज पर लादा या थोपा जाए।

~~आधुनीक~~ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में इसको निम्नांकित तीन पहलुओं मे विभाजित किया है-

(1) आविष्कारात्मक दृष्टिकोण जिससे निरन्तर व्यवस्थित तथा आविष्कारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है जो कि धारना के कारण और परिणाम से सम्बन्धित है।

(2) ~~नवीन~~ तरीकों व प्रविधियों तथा उपकरणों का आविष्कार,

(3) सामाजिक संरचनों का लचीलापन और पहचान की निरन्तरता कोनेल के अनुसार परम्परागत समाज से आधुनिक समाज मे परिवर्तन होते हैं।

(5) (i) आर्थिक विकास मे वृद्धि होती है। और वह आत्मनिर्भर हो जाता है।

(ii) धन्धे अधिक विशिष्ट और कुशल हो जाते है,

(iii) प्रारम्भिक धंधे मे लगे लोगो की संख्या कम हो जाती है। जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक धन्धों मे लगे लोगों की संख्या बढती जाती है,

(iv) वस्तु विनिमय के स्थान को मुद्रा व्यवस्था ले लेती है।

(v) नगरीकरण की प्रक्रिया मे वृद्धि होती है,

मूर (Moore) के अनुसार, आधुनिक समाज के विशेष आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक लक्षण होते है।

आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण

(1) वैज्ञानिक भावना

(2) कारण और तर्कवाद

(3) उच्च आकांक्षाएं तथा उपलब्धिपरकता

(4) मानव संसाधनो मे निवेश।

(5) मूल्यों, मानदंडो तथा अभिरुचियों मे परिवर्तन